

## मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लाजिस्टिक्स इकाई, सिग्नेचर भवन, पंचम तल, टावर-1 गोमतनीनगर विस्तार फेज-2 लखनऊ

(फ़ैक्स नम्बर-0522-2724030) ई-मेल आईडी0-logisticoffice4@gmail.com

पत्र संख्या: लाजि0-एम0टी0-151/2023 दिनांक: लखनऊ : जुलाई 02, 2024

### आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2015 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या डीजी-चार-125(14)/2018 दिनांक 10-01-2024 के साथ प्राप्त उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या पीआरपीबी-चार-12(31)-2023 दिनांक 01-01-2024 द्वारा निम्न आरक्षी चालकों को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष-2023 में उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन दिनांक 10-01-2024 के क्रम में 30 जून, 2024 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष तात्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

सूची का क्रमांक	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ सं०	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
152	214	930630197	मदनचन्द्र	राम किशन	बांदा	2023
153	215	980731938	जयप्रकाश	श्री शिवचरन सिंह	कमिश्नरेट गाजियाबाद	2023
154	216	980731648	वीरेश चन्द्र	स्व० श्री सोवरन सिंह	कमिश्नरेट गाजियाबाद	2023
155	217	980731912	उमेश चन्द्र	स्व० श्री श्रीलाल	कमिश्नरेट गाजियाबाद	2023
156	218	980750302	नगेन्द्र सिंह	श्याम सिंह	फतेहगढ	2023
157	219	980731840	सोबाराम सिंह	मान सिंह	इटावा	2023
158	220	980680025	प्रमोद कुमार	श्री कालीचरन सिंह	मैनपुरी	2023
159	221	980680735	सुशील कुमार	श्री नत्थू सिंह	कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर	2023
160	222	980731651	उमेश यादव	श्री महेन्द्र सिंह	कमिश्नरेट कानपुर नगर	2023
161	223	980670301	अमरपाल सिंह	किताब सिंह	इटावा	2023
162	224	980530320	सुभाष सिंह यादव	मूलचन्द यादव	अम्बेडकरनगर	2023
163	225	050730285	मुनेश कुमार	श्री बेचें लाल	हरदोई	2023
164	226	980720644	नन्दलाल राम	श्री राज देव राम	सोनभद्र	2023
165	227	980731837	राकेश कुमार	श्री धवल सिंह	हाथरस	2023
166	228	980731677	देवराज सिंह	श्री नरायन सिंह	हाथरस	2023
167	229	030720419	राकेश सिंह	श्री राम सरेख सिंह	प्रयागराज	2023
168	230	030720073	विजय प्रकाश मिश्र	कृष्णलाल मिश्रा	जौनपुर	2023

सूची का क्रमांक	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ सं०	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
169	232	960771138	धीरज तोमर	महेन्द्र सिंह तोमर	पीटीएस मेरठ	2023
170	233	980481400	वीरेन्द्र कुमार सिंह	राम विलास सिंह	सुलतानपुर	2023
171	234	980460375	मुकेश कुमार	श्री रामजी लाल	बिजनौर	2023
172	235	980640122	ज्ञान प्रकाश	राम प्रकाश	बांदा	2023

2- पदोन्नति पाये समस्त मुख्य आरक्षी चालक अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा के मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करेंगे एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवा नियमावली-2015 के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलतापूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। पदोन्नति पाये कर्मियों के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मियों नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। पदोन्नति पाये मुख्य आरक्षी चालक की आगामी नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

3- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित आरक्षी चालक से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या 13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28-05-1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ यथा (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है, (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप पत्र जारी किया जा चुका है तथा (ग) यदि आपराधिक आरोप पत्र के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है, अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। आरक्षी चालक के उपरोक्त के विरुद्ध विद्यमान नहीं हो।

4- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में उर्पयुक्त प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं, तो सम्बन्धित आरक्षी चालक को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती हैं, तो सम्बन्धित आरक्षी चालक के पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन नहीं कराया जायेगा, तथा ऐसे सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या लॉजिस्टिक्स इकाई उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराते हुए दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5- यदि सम्बन्धित आरक्षी चालक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई/पीएसी द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई/पीएसी में उसके द्वारा स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है, साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित सम्बन्धित कर्मियों को पदावनति किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख लॉजिस्टिक्स इकाई उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराये जायेंगे।

6- आदेश की प्रति एवं घोषणा पत्र की प्रति प्रारूप 'क' उत्तर प्रदेश पुलिस की बेवसाईट [up police-police units-Logistics-circular-For latest circular click here-Go to circular archive](#) पर प्रदर्शित है। संलग्नक:

स्वघोषणा पत्र का प्रारूप-क

  
(राज कुमार)

अपर पुलिस महानिदेशक-लाजिस्टिक्स,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने जनपद/ में <sup>इकाई</sup> नियुक्त सूची में अंकित आरक्षी चालकों को उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप पदोन्नति आदेश निर्गत करने का कष्ट करें :-

1. पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद/गौतमबुद्धनगर/कानपुरनगर एवं प्रयागराज।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, पी0टी0एस0 मेरठ।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बॉदा/फतेहगढ़/इटावा/मैनपुरी/अम्बेडकरनगर/हरदोई/सोनभद्र/हाथरस/जौनपुर/सुलतानपुर एवं बिजनौर।

## स्व-घोषणा-पत्र

मैं ----- (नाम/पदनाम व पीएनओ)  
पुत्र ----- निवासी -----  
थाना ----- जनपद ----- वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम)  
----- नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:-

- (क) 'मेरे विरुद्ध उ०प्र०अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।'
2. उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुए मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर  
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)  
नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित कर्मों के विरुद्ध उ०प्र०अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों व (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन है अथ निलम्बित है, तो उसका पूर्ण विवरण उनके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

- (1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण-----
- (2) मेरे विरुद्ध उ०प्र०अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई ----- में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक----- को आरोप-पत्र दिया गया है
- (3) मेरे विरुद्ध मु०अ०सं०----- द्वारा----- थाना----- जनपद----- में लम्बित है, जिसमें दिनांक----- को स्थापित पुलिस अथवा जाँच एजेन्सी----- द्वारा आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग----- वर्तमान में----- स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर  
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)  
नियुक्ति स्थान/दिनांक

प्रमाणित  
जनपद/इकाई के प्रभारी  
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:-स्वघोषणा-पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उप-प्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट दिया जाय।